

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/16/अन्त.स्थां./10/844  
/आदेश/

भोपाल,दिनांक 9/03/2010

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित सहायक शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में कॉलम-6 में अंकित संस्था/जिले में किया जाता है:-

| स. क्रं. | नाम                          | यूनिक आई. डी. क्रमांक | वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम    | संस्था/जिले का डाईस कोड | स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम                |
|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | 2                            | 3                     | 4                                 | 5                       | 6                                             |
| 1        | श्रीमती ममता तिवारी, सहा.शि. | AY 1380               | शा.प्राथ.शाला सेमरा अंगद,जि. सागर | 23111014001             | भा.कन्या प्राथ. शाला स्टेशन पुरिया, जि. भोपाल |

- 1/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 2/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 3/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

  
अभ्युक्ता

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


भोपाल, दिनांक 9/03/2010

पृ. क्रमांक स्थापना-3/सी-2/16/अन्त.स्थां./10/845  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
5. कलेक्टर,जिला-सागर एवं भोपाल म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- सागर एवं भोपाल म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग- सागर एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी,जिला- सागर एवं भोपाल म.प्र.।
9. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



आयुक्त  
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश